प्रार्थना पत्र (सुपुर्दगी) संख्या 09 सन् 2020

अनुवान– हरिसिंह बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.09.2020	वकील प्रार्थी उपस्थित। थानाधिकारी पुलिस थाना, भालेरी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वाहन के मालिक की सूचना जिला परिवहन अधिकारी चूरू से चाही गई, जो प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गई है। सुपुर्दगी प्रार्थना–पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पिकअप गाड़ी नं. आरजे 10 जीबी 0282 का प्रार्थी रजिस्टर्ड मालिक है। पुलिस थानाधिकारी, भानीपुरा द्वारा वाहन जब्त किया जाकर तफतीश थानाधिकारी पुलिस थाना भालेरी को सुपुर्द की गई है। जब्तशुदा वाहन प्रार्थी के परिवार की रोजी–रोटी का साधन है। पुलिस थाना परिसर में वाहन के खुले में खड़े रहने पर रंग–रोगन व टायर–ट्यूब आदि खराब हो जायेगें। प्रकरण के निस्तारण में समय लगेगा। पुलिस की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 171 दिनांक 01.09.2020 में वाहन को जब्त नही किया गया है। अंत में जब्तशुदा वाहन को साधारण जमानत पर सुपुर्द किये जाने बाबत निवेदन किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। थाने में खड़ा रहने पर वाहन को नुकसान होने की सम्भावना है। पुलिस थानाधिकारी भालेरी की रिपोर्ट दिनांक 18.9.2020 के अनुसार पिकअप गाड़ी नं. आरजे 10 जीबी 0282 से अनुसंधान पूर्ण हो चुका है, जब्त पिकअप की अनुसंधान में आवश्यकता नही होना लिखा है। ऐसे में वाहन को थाना पर खड़ा रखे जाने का कोई औचित्य नही है। इस मामले में यह शर्त अधिरोपित की जानी उचित है कि यदि इसी प्रकार के अपराध में वाहन का प्रयोग लिया गया, तो सुपुर्दगी व जमानतनामा निरस्त समझे जायेगें और वाहन को पुनः कब्जे में लिया जा सकेगा। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। निम्न शर्तों के तहत 50/– रूपये के स्टाम्प पर पांच लाख रूपये का सुपुर्दगीनामा व पांच लाख रूपये का जमानत के रुप में हैसियत प्रमाण–पत्र पेश किये जाने पर सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा तस्दीक किया जाये। शर्तें– 1. प्रार्थी उक्त वाहन का न्यायालय से निर्णय होने तक किसी व्यक्ति को बेचान व स्थानान्तरण नहीं करेगा। 2. प्रार्थी वाहन के रंग–रोगन का न्यायालय की स्वीकृति के बिना परिवर्तन नहीं करेगा।	

जिला कलेक्टर

3. न्यायालय द्वारा जब भी वाहन को तलब किया जावे तो प्रार्थी स्वंय के खर्चे पर वाहन को न्यायालय में हाजिर रखेगा।
4. इसी प्रकार के अपराध में वाहन का प्रयोग लिया गया तो सुपुर्दगी व जमानतनामा निरस्त समझे जायेगें और वाहन को पुनः कब्जे में लिया जा सकेगा।

उपरोक्त शर्तो के अध्यधीन प्रार्थी श्री हरिसिंह पुत्र तोलूराम, जाति जाट, निवासी सांवर, पुलिस थाना भानीपुरा, तहसील सरदारशहर जिला चूरू को वाहन सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है।
थानाधिकारी पुलिस थाना, भानीपुरा को तद्नुसार पत्र जारी हो। अनुसंधान पत्रावली संबंधित थानाधिकारी को प्रेषित करते हुए, पत्रावली फैसला शुमार होकर नंबर से कम की जाकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 21.09.2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रदीप के. गावंडे)
जिला कलक्टर, चूरू